

अतः पत्रावली दिनांक 25-11-22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

25-11-22

उपपक्ष - पी.जा.पी.न. अधिकारी राजस्थान
कार्य से वा. अ.क.प्र.श. पर है / पपरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 27-12-22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-12-22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी
विपक्षी सं. 1, 2, 8 के विकट कोर्ड कार्यवाही नहीं चलावते हैं विपक्षी सं.
3 लगापत 7 व 9 के सम्मन वाड लालि होकर प्राप्त हुए जिसे
शा. पर छिये गये। विपक्षी गण को छिन्की मर्तवा कक-कक कर
आवापे उिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विकट एक
तरफा कार्यवाही छिये जाने का अडिशन दिया जाता है। वकील प्रार्थी के
आपगत स्वीकार किया जाकर निर्वाप पत्र से लिखा जाकर शा.
पर किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से रुमली।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

न अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 203/22 प्रा.पत्र

श्री शांतिलाल शं० काना ब्राह्मण निवासी- बाराडिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री वेदीलाल शं० काना ब्राह्मण निवासी- बाराडिया तहसील-माण्डल (वर्ग 1)
(संयुक्त खाते/संयुक्त)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 27-12-22

::आदेश::

नी ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम...~~बाराडिया~~.....पटवार हल्का...~~कबरगडिया~~.....तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं.....~~74~~..... कुल किता.....~~01~~.....रकबा...~~1.3036~~... स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का गरी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...~~बाराडिया~~.....पटवार...~~कबरगडिया~~.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....~~74~~..... किता.....~~01~~.....रकबा...~~1.3036~~.....हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख शक...~~300/-~~.....को...~~700/-~~.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार कर पत्थरगद्दी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा